



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग—4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर द्वारा दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमण्डल अंतर्गत 4.561 हे. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 4.561 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 24 /12/2020

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं
वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

(राकेश चतुर्वेदी)
भा.व.से.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

दूरभाष: 0771 – 2512840

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध-1ए/115-846/२३६५
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक २८/१२/२०२०

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Dantewada "Division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 4.561 ha. regarding पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 43606 / 2019

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर का पत्र क्रमांक/तक शा./ 3787 दिनांक 10.12.2020

* * * * *

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र— आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा दंतेवाड़ा के दंतेवाड़ा वनमण्डल क्षेत्र अंतर्गत गीदम एवं कटेकल्याण ब्लॉक के आरक्षित वन भूमि 1.168 हे. संरक्षित वन भूमि 2.105 हे. एवं राजस्व वन भूमि 1.288 हे. कुल आवेदित वन भूमि रकबा 4.561 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है।	1-11
2.	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति:- प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/ 43606 / 2019 आवंटित किया गया है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल रु. 24,000/- जमा कराया गया है। पुष्टि हेतु चालान की छायाप्रति संलग्न।	12
3.	वन क्षेत्र का विवरण— आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा दंतेवाड़ा वनमण्डल क्षेत्र अंतर्गत गीदम एवं कटेकल्याण ब्लॉक के आरक्षित वन भूमि 1.168 हे. संरक्षित वन भूमि 2.105 हे. एवं राजस्व वन भूमि 1.288 हे. कुल आवेदित वन भूमि रकबा 4.561 हे. भूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।	13-23
4.	गैर वन क्षेत्र विवरण— दंतेवाड़ा वनमण्डल के अंतर्गत गीदम एवं कटेकल्याण ब्लॉक के जुड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट आफ के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रभावित गैर वनक्षेत्र का कुल रकबा 13.729 हे. है।	24

5.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर— प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का 1:50000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।	25-32
6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप— प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।	33-35
7.	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव: — प्रपत्र - 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 33 करोड़ 87 लाख रु. बतायी गई है। यूजर एजेंसी ने कथन किया गया है कि दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वन मंडल क्षेत्र अंतर्गत गीदम एवं कटेकल्याण के समस्त ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत संबंधित कार्य त्वारित गति से तथा सुचारू रूप से संपादित होंगे।	36-43
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप: — तीन पृष्ठीय टीप यूजर एजेंसी द्वारा दी गई है जिसमें उन्होंने कथन किया है कि छ.ग. राज्य में इस प्रयोजन के तहत छ.ग. सरकार द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जावेगा जिसके अंतर्गत राज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतों को जोड़कर उच्च गति ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी प्रदान की जावेगी।	44-46
9.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र: — प्रस्ताव में न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	47
10.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही: — इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।	48
11.	वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा:— भाग-2 पर वन मंडलाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत दिनांक 24.11.2020 से प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त द्वारा दिनांक 10.12.2020 को वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। फायबर केबल लाईन बिछाये जाने हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.4 से 0.6 तक है।	49-67
12.	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र: — प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्त्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है।	68
13.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):— संबंधित ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	69-75
14.	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में— दंतेवाड़ा वनमंडल का कुल वन भूमि (रकबा हे. में) रकबा 124250.500 हे. है।	76
15.	व.स.आ.—1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रमावित हुई वन भूमि रकबा हे. में— दंतेवाड़ा वनमंडल के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में 19 प्रकरणों के 3217.624 हे. वनभूमि का व्यपवर्तन वन संरक्षण, अधिनियम 1980 के अंतर्गत किया गया है।	77
16.	व.स.आ.—1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में— व.स.आ.—1980 तहत दंतेवाड़ा वनमंडल के अंतर्गत इसी श्रेणी के 2 प्रकरणों के लिए कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा 4.773 हे. है।	78

17.	प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/ एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):— प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	79
18.	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998 दिनांक 03/08/2009):— आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर दंतेवाड़ा द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र क्रमांक 8062 दिनांक 24.01.2020 को जारी किया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	80-81
19.	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):— प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर दंतेवाड़ा के पत्र क्रमांक 8021 दिनांक 13.01.2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है। जो प्रस्ताव के संलग्न है।	82-91
20.	पंजीयन क्रमांक—पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31/07/2009):— विवरण चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक—2 अनुसार है।	92
21.	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा:— ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान / वन्य प्राणी परियोजना नहीं आ रहा है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा वन मंडल प्रतिवेदन संलग्न है।	93

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ का अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग—4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:—

1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
3. भाग—4
4. टाईम लाईन

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)


 (सुनील मिश्रा)
 अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध /वं. स. अ)
 छत्तीसगढ़